"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 609] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 नवम्बर 2014— अग्रहायण 4, शक 1936

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-20/2010/32.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 76ख की उप-धारा (2) सहपठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (2) में, शब्द तथा चिन्ह "कार्यपालन अभियंता (विद्युत)" के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह "कार्यपालन अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 6 के कॉलम (2) में, शब्द तथा चिन्ह "कार्यपालन अभियंता (विद्युत)" के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह "कार्यपालन अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (3) में, शब्द तथा चिन्ह "कार्यपालन अभियंता (विद्युत)" के स्थान पर, शब्द तथा चिन्ह "कार्यपालन अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-20/2010/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 20th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-20/2010/32. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 76B read with Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Development Authority Services (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules ,-

1. In column (2) of serial number 6 of Schedule-I, for the words and symbol "Executive Engineer (Electrical)", the words and symbol "Executive Engineer (Electrical/Mechanical)" shall be substituted.

2. In column (2) of serial number 6 of Schedule-II, for the words and symbol " Executive Engineer (Electrical)", the words and symbol "Executive Engineer (Electrical/Mechanical)" shall be substituted.

3. In column (3) of serial number 4 of Schedule-IV, for the words and symbol "Executive Engineer (Electrical)", the words and symbol "Executive Engineer (Electrical/Mechanical)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.